भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 138*

दिनांक 26.07.2016/04 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण

†*138. डॉ0 उदित राजः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आतंकवादियों/नक्सलियों/माओवादियों से निपटने के लिए पुलिस बलों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और
(घ) माओवादी हमलों का शिकार होने वाले पुलिस कार्मिकों को दिए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल रख दिया गया है।

.....2/-

दिनांक 26.7.2016 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। विशेषीकृत प्रशिक्षण सहित, प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, केंद्र सरकार पुलिस बलों के प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण, दोनों, में सहायता द्वारा राज्यों की सहायता करती है।

(ख): केंद्र सरकार राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के माध्यम से बुनियादी (फाउंडेशन) स्तर, कार्यात्मक (फंक्शनल) स्तर और निदेशात्मक (डाइरेक्शनल) स्तर पर पुलिस अधिकारियों के लिए रणनीतिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। अब तक, 2075 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और ग्रेहाउंड्स, हैदराबाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस, दोनों, के कार्मिकों को विशेषीकृत प्रीइंडक्शन, कमांडों, नक्सल और आईईडी-रोधी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। विद्रोह एवं आतंकवाद-रोधी (सीआईएटी) स्कूल राज्य पुलिस कार्मिकों को विशेषीकृत आतंकवाद/नक्सलरोधी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों की उनकी स्वयं की क्षमताएं विकसित की जा रही हैं, ताकि वे अपने-अपने प्रशिक्षण संस्थानों में विशेषीकृत प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकें।

(ग): केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' योजना के अंतर्गत निधियां मुहैया करा रही है। इसमें सचलता, हथियारों, उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना, कंप्यूटरीकरण, विधि-विज्ञान और महानगर पुलिस व्यवस्था (एमसीपी) के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 138

(घ): माओवादी हिंसा में मारे गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 15 लाख रुपये का अनुग्रह मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, जिसकी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा राज्यों सरकारों को की जाती है, के अंतर्गत पुलिस कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के परिवार को 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ अनुग्रह भुगतान किया जाता है। प्रति वर्ष प्रति-कार्मिक अधिकतम 1000 रुपये के अध्यधीन, वामपंथी उग्रवाद-रोधी अभियानों में शामिल पुलिस कर्मियों की बीमा के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति भी सुरक्षा संबंधी व्यय योजना से की जाती है। बीमाकृत राशि सामान्यतः 10 लाख रुपये या इससे अधिक होती है।